प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 28.06.2026

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मोबाइल चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन बरामद ।

घटना का विवरण

दिनांक 26.06.2026 को वादी श्री सत्यम राय निवासी लाल कुआँ, थाना वेव सिटी, गाजियाबाद द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तहरीर दी गई कि जब वह नोएडा से लौटते समय एबीईएस कॉलेज कट के पास पहुँचे, तभी ऑटो में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनका मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण एवं माल तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

कार्यवाही का विवरण

आज दिनांक 28.06.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मोबाइल चोरी करने वाले अभियुक्त नौशाद पुत्र हसन, निवासी मोहल्ला बाजीगरान, पठान चौक, डासना, थाना वेव सिटी, गाजियाबाद, उम्र लगभग 36 वर्ष को पंचशील पार्क सोसायटी के खाली मैदान, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से उपरोक्त घटना से संबंधित चोरी का मोबाइल फोन बरामद हुआ । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह पूर्व में नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर में कबाड़ी का कार्य करता था, जहाँ उसके पास चोरी का सामान बरामद होने पर वह पकड़ा गया था। वर्तमान में वह बाल कटिंग का कार्य करता है। पैसों की आवश्यकता होने के कारण उसने लगभग 2-3 दिन पूर्व एबीईएस कॉलेज कट के पास एक व्यक्ति की जेब से उसका मोबाइल फोन चोरी कर लिया था। वह उक्त मोबाइल फोन को बेचने की फिराक में घूम रहा था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

नौशाद पुत्र हसन, निवासी मोहल्ला बाजीगरान, पठान चौक, डासना, थाना वेव सिटी, गाजियाबाद, उम्र लगभग 36 वर्ष।

बरामदगी

01 चोरी का मोबाइल फोन

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर **चोरी** के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है,
थाना सेक्टर-63, नोएडा (गौतमबुद्धनगर) पर **चोरी का माल बरामदगी** के संबंध में 01 अभियोग,
थाना सेक्टर-20, नोएडा पर **चोरी एवं अवैध असलाह** से संबंधित 02 अभियोग,
थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर पर **आबकारी अधिनियम** का 01 अभियोग तथा
थाना फेस-03, नोएडा (गौतमबुद्धनगर) पर **लूट, चोरी एवं अवैध असलाह** से संबंधित 04 अभियोग पंजीकृत हैं।
इस प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध कुल **09** अभियोग पंजीकृत हैं।
अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा घर में चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पीली धातु के आभूषण बरामद ।

घटना का विवरण-

दिनांक 26.06.2026 को वादी श्री राकेश कुमार पुत्र स्व. राजवीर सिंह, निवासी मकान संख्या-633, हरवंश नगर, थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद द्वारा सूचना दी गई कि अंकित द्वारा उनके घर से नकदी एवं आभूषण, जिनमें झुमके, मंगलसूत्र, चैन, कुंडल, अंगूठियां आदि चोरी कर लिए गए हैं। उक्त सूचना के आधार पर थाना नन्दग्राम पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-

घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना स्तर पर पुलिस टीमों का गठन किया गया। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज एवं स्थानीय सूचना (लोकल इनपुट) के आधार पर दिनांक 28.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान मछली गोदाम, सिहानी के पास अभियुक्त को चोरी किए गए माल सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अंकित पुत्र हरीशचन्द्र, निवासी वर्तमान पता- मकान संख्या 633, हरवंश नगर, थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद।
   मूल निवासी- पुरदिल नगर, थाना सिकन्दराराऊ, जनपद हाथरस।
   उम्र- 21 वर्ष।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसने अपने शौक को पुरा करने के लिए उक्त आभूषण चोरी किए थे। उसे ऑनलाइन गेम खेलने की लत है तथा गेमिंग में पैसे खर्च करने के लिए उसने चोरी की थी। वह चोरी किए गए आभूषणों को बेचने की फिराक में था, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। आज वह उक्त सामान बेचने जा रहा था कि चेकिंग में पकड़ा गया ।

बरामदगी का विवरण-

1. पीली धातु के एक जोड़ी कान के झुमके।
2. पीली धातु के एक जोड़ी कुंडल।
3. गुलाबी रंग के मोतियों की माला सहित एक मंगलसूत्र (पीली धातु के पेंडेंट सहित)।
4. पीली धातु की चार अंगूठियां।
5. पीली धातु के दो पेंडेंट।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।